16/07/25

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। प्रकरण में तहसीलदार बाली से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हो जाने से वकील प्रार्थी श्री विरमदेवसिंह सोनीगरा ने प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये प्रार्थी द्वारा आवेदित मार्ग से तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट के अनुसार रास्ता दिलाये जाने की दलील दी। वकील प्रार्थी ने यह भी दलील दी कि अप्रार्थी तहसीलदार बाली ने प्रकरण को लंबा करने की नियत से आवेदित रूट के अतिरिक्त अन्य विकल्प के तौर पर खसरा नंबर 219 में से रास्ता प्रस्तावित किया है। अतः वैकल्पिक रूप से रास्ता नहीं दिया जाकर खसरा नंबर 1749/238 में से ही रास्ता दिये जाने की दलील दी। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन से ज्ञात है कि आवेदक की खातेदारी भूमि बोया के खसरा नंबर 220/1 रकबा 1.44 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिये वर्तमान में कोई रास्ता उपलब्ध नहीं होने से आवेदक द्वारा बोया के खसरा नंबर 1749/238 में से रास्ता चाहा है। जिस बाबत रिपोर्ट भी तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत कर दी है। जिससे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए में वर्णित प्रावधानों

3

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व इरा हुक्म
	के तहत आवेदक को तहसीलदार बाली के कार्यालय पत्रांक राजस्व/2025/1817 दिनांक 24.06.2025 से प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार खसरा नंबर 1749/238 रकबा 3.25 हैक्टर में से 109X5=545 वर्गमीटर देय प्रतिकर राशि डी.एल.सी. 5,16,000/- रूपये प्रति हैक्टर की दर से (545x52x2)= 56680/- रूपये वसूली के पश्चात आदेशानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद के साथ नक्शे में तरमीम सुनिश्चित करे। रिपोर्ट के साथ संलग्न नक्शा को आदेश का भाग माना जावें। पत्रावली फैसल शुंमार होकर नंबर से कम हो।	
	उपखण्ड अधिकारी, बाली	
	सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली	
	न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी ★ बाली, जिला - पाली (राज.) ★	

राजस्थान सरकार

खसरा नक्शा एंव जमाबंदी(प्रतिलिपि)

NIC-BHUNAKSHA

जिला : तहसील :

दिनांक : 17/06/2025 01:56:27 PM

पटवारी हल्का : ग्राम : भू. अ. नि. क्षेत्र :

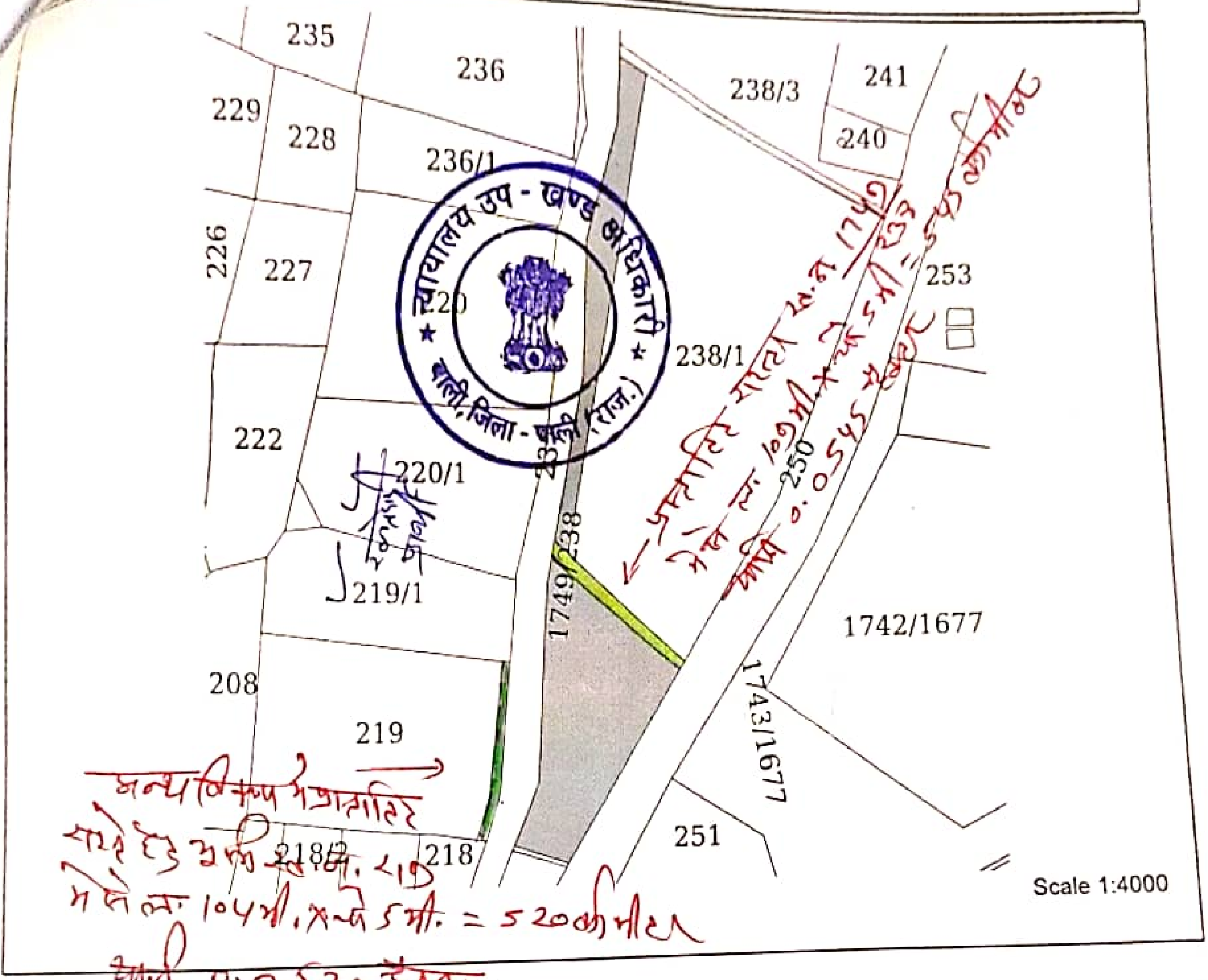

नरेश कुमार मोबारसा
भू.अ.नि.कु.बाली
तहसील बाली जिला-पाली

तहसीलदार,बाली

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,बाली

CamScanner